

 <p>प्रभास्मिश्शिशुसूर्ययोः</p>	<p>जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005 कार्यालय अति मुख्य अभियंता (पीपीएम) पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर- 302006 (फोन नं. 0141-2202441) Website: www.energy.rajasthan.gov.org/jvvn, email: ceppm@jvvn.org.</p>
--	---

क्र. जे.पी.डी./मु.अ.(पी.पी.एम)/अधी.अभि.(आर.ई)/अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 594 दि 18/01/2021

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु दिशा निर्देश।

दिनांक 23.12.2020 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि कृषि कनेक्शन जारी करने की वरीयता की सूचना निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जावेगी।

अतः उपरोक्त संदर्भ में आदेशानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं कि नए कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की वरीयता सूची निम्न श्रेणियों में संधारित की जायेगी:-

1. सामान्य योजना में सामान्य वर्ग एवं अधिभावी प्राथमिकता (Overriding priority) वाले कनेक्शन।
2. सामान्य योजना में अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा सहिरया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों) के समस्त व्यक्ति तथा अन्य तुरंत प्राथमिकता वाले जमा मांग पत्रों के कनेक्शन।
3. अन्य योजना के सभी जमा मांग पत्रों के कनेक्शन।


सभी संबंधित वृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सभी योजना/श्रेणियों के अन्तर्गत उपखण्डवार लाभान्वित होने वाले आवेदकों की कृषि कनेक्शन जारी करने की वरीयता सूची उपरोक्त उल्लेखित श्रेणियों के क्रम में निम्न प्रारूप में निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जावेगी। उक्त सूचना प्रतिमाह प्रथम सप्ताह में अपडेट की जावे।

वृत का नाम :-

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	कृषि कनेक्शन आवेदक का नाम व पता	आवेदन दिनांक	योजना/श्रेणी	मांग पत्र जारी करने की दिनांक	मांग पत्र जमा कराने की अंतिम दिनांक	मांग पत्र जमा करने की दिनांक	कनेक्शन जारी करने की वरीयता


अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम समस्त वृत अधिकारियों को निगम की वेबसाइट पर उक्त सूचना अपलोड करने की समुचित प्रक्रिया अपनाने हेतु सूचित करेंगे।

अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर उक्त आदेश की पालना की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।


अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा।
6. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (CA-HQ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी/जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम)अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
12. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
13. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री उर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
16. विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18. निजी सचिव माननीय उर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
19. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।


अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर